न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2020

अपीलांट्स

1राजू पुत्र बशीर खां
2शोबू पुत्र नेनू खां
3कालू खां पुत्र शफी खां
4मकफूल खा पुत्र भोलू खा
5मेहरबान खां पुत्र शफी खां
6कालू खां पुत्र शकूर खां
जातियान सिपाही मुसलमान
निवासीगण झुझण्डा तहसील
मुण्डवा जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1बाबू पुत्र जलालुदीन जाति मुसलमान खेरादी निवासी प्रतापनगर, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
2राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति –

1श्री कैलाश गालवा, वकील अपीलांट्स की ओर से।
2श्री भंवरलाल चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.07.2021

{1}--अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा ग्राम झुझण्डा के नामान्तरकरण सं. 2322 दिनांक 19.12.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 12.02.2020 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। मियाद प्रार्थना पत्र का वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा दिनांक 12.04.2021 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस मियाद प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपने मियाद प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि –

{2}(I)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 बाबू पुत्र जलालुदीन के पिता जलालुदीन पुत्र मुनीरदीन जाति मुसलमान के पक्ष मे खसरा नं. 69 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा मौजा झुझण्डा तहसील नागौर हाल तहसील मुण्डवा जिला नागौर मे गैर खातेदारी जलालुदीन के नाम दर्ज की गई तथा जलालुदीन का कब्जा काश्त नही होने के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज नही हो सकी। जिस पर पूर्व मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उक्त खसरा नं. 69 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा मौजा झुझण्डा मे अपने पिता जलालुदीन के फौत होने का फौतगी म्यूटेशन सं. 833 अपने नाम ग्राम पंचायत झुझण्डा द्वारा स्वीकृत कराया गया तथा बाद नाम स्वीकृत होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही की गई, जिसमे म्यूटेशन सं. 896 प्रस्तुत हुआ, जिसमे विस्तृत रूप से उक्त खसरा को गैर खातेदारी से खातेदारी मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज करने हेतु जांच की गई, जिसमे उक्त खसरान का मौका पटदारी जनाणा, पटवारी भडाणा, पटवारी झुझण्डा, आईसी पटवारी थिरोद द्वारा उक्त खसरा नं. 69 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा का मौका देखकर विस्तृत रूप से जांच करते हुए उक्त भूमि मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता का कब्जा नही होना व कभी भी काश्त करना नही पाया जाना तथा उक्त रकबे मे 2 बीघा मे हडडी खोडा स्थित होना तथा पूर्व मे एसडीओ द्वारा मौके पर हडडी खोडा का खुलासा किया जाना व हडडी खोडा दर्ज करने की कार्यवाही की जाने तथा इसी खसरा के पडोसी रसूल खां पुत्र दीने खां के 7 बीघा रकबा कब्जे मे होना तथा 2 बीघा भूमि अन्य पडोसी मे दबी हुई होना व 4 बीघा भूमि पडत जो गांवप वालो के पत्थरीली जमीन निपटने व हडडी खोडे से सबंधित होने, उक्त भूमि काश्त योग्य नही होने के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज नही करते हुए नामान्तरकरण सं 803 खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व पूर्व मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा एक अपील बाबू बनाम राज्य सरकार तहसीलदार नागौर अपील सं. 02/2008 प्रस्तुत की, जिसमे 31.03.08 को निर्णय पारित किया गया व अपील खारिज की गई।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)– उक्त संपूर्ण तथ्यो को छुपाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के समक्ष धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसमे दिनांक 15.07.16 को सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करते हुए उक्त खसरा नं. 69 रकबा 15.15 बीघा मौजा झुझण्डा मे गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का अधिकार तहसीलदार मे निहित होने का कथन किया गया व वाद खारिज किया गया, जिस पर तहसीलदार मुण्डवा द्वारा दिनांक 14.10.16 को एक आदेश पारित करते हुए उक्त खसरा नं. 69 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा गैर खातेदारी नामान्तरकरण सं. 285 दिनांक 13.11.79 के द्वारा जलालुदीन पुत्र मुनीरदीन कौम मुसलमान के नाम दर्ज हुई तथा 15.07.16 को सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के आदेश का हवाला देते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज करते हुए म्यूटेशन सं. 2322 भरा गया।

{2}(III)– जिसकी सर्वप्रथम अपीलांट को जानकारी तब हुई, जब आज से करीब एक माह पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उपरोक्त भूमि बेचान करवाने हेतु कई खरीददारो को मौके पर लाकर दिखाया तथा पूछने पर उक्त खेत की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का कथन किया व उक्त खेत बेचान करने का कथन किया, अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को उक्त भूमि हडडी खोडा के रूप मे काम मे लेने व उक्त भूमि कभी भी काश्त योग्य नही होने का कथन किया गया तथा अन्य व्यक्ति को बेचान नही करने का कथन किया गया, लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उक्त भूमि अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसमे प्लोटिंग करने की एलानियां धमकी देने से एक माह पूर्व उपरोक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम होने की सूचना अपीलांट को होने पर अपीलांटस ने राजस्व रेकर्ड की संपूर्ण नकल प्राप्त की, जिस पर उक्त नामान्तरकरण जैर अपील व तहसीलदार के आदेश की जानकारी हुई। जिससे अपील जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– अपीलांट्स द्वारा जानकारी होते ही बिना कोई लापरवाही किये अपील अविलंब प्रस्तुत की गई है तथा कारण पर्याप्त होने से सारभूत तथ्यो पर मियाद किया जाना चाहिये तथा ऐसा विलंब माफी योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2018(1) पेज 601 से 605, डीएनजे (एससी) 2015 पेज 592 से 596 तथा आरआरटी 2016(2) पेज 1378 से 1380 नजीरे पेश की।

{3} वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि –

{3}(I)– खेत खसरा नं. 69 मे से 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि जलालुर्दीन के नाम से 1979 मे आवंटन किया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा उसके नाम म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात सहायक कलक्टर (मु.) के आदेश पालना मे रेस्पोडेन्ट बाबू खां के नाम उक्त भूमि का जलालुदीन के फौत हो जाने के कारण नामान्तरकरण सं. 2322 दिनांक 19.12.16 का स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

{3}(II)– अपीलांट को उक्त भूमि जलालुदीन के नाम से आवंटन होने व उसके गैर खातेदारी दर्ज होने तथा उसके पश्चात म्यूटेशन जैर अपील की संपूर्ण जानकारी थी। अपीलांट ने उक्त आवंटन को निरस्त करवाने के लिये दिनांक 05.02.2017 को न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के समक्ष धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया गया था। जो प्रकरण सं. 57/17 है। जिसका निर्णय 05.03.2020 को हुआ है, उक्त प्रार्थना पत्र मे अपीलांट ने स्पष्ट उल्लेख किया कि नामान्तरकरण गलत है, इससे प्रकट होता है कि अपीलांट को दिनांक 02.05.17 मे ही उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हो गयी थी। मगर उसे जानकारी के बावजूद भी अपीलांट ने कोई अपील पेश नही की और जब अपीलांट का धारा (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) का आवेदन न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 05.03.20 को खारिज कर दिया गया, तब रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के लिये यह अपील पेश की है, जो मियाद बार है।

{3}(III)– अपीलांट ने अपने आवेदन मे जानकारी होने की तारीख का कोई उल्लेख नही किया है। अपीलांट का यह कथन गलत है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 उक्त भूमि प्लोटिंग करके बेचने का प्रयास करने पर उसको जानकारी हुई है बल्कि दिनांक 02.05.17 को धारा (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) का प्रार्थना पत्र जो जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपीलांट व उनके इन्ही अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को नामान्तरकरण करने की जैर अपील जानकारी दिनांक 02.05.17 से पहले ही हो गयी थी। अपीलांट व उसके अधिवक्ता उसकी स्वीकृति से विपरीत कथन करने से विबन्धित है। अपीलांट का आवेदन मियाद बार होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर, नागौर

{3}(IV)– वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपील करीबन 3 वर्ष पश्चात की गई है। जो कालबाधित है। जिसका गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निर्णीत करना आवश्यक होता है। अपीलांट्स द्वारा देरी का संतोषजनक युक्तिसंगत कारण नही बताया गया है। यहां तक कि अपीलांटस को सर्वप्रथम जानकारी किस तिथी को हुई यह भी प्रार्थना पत्र मे नही बताया गया है। ऐसी स्थिति मे विलंब माफ नही किया जा सकता है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2015(2) पेज 1425 से 1427, आरआरटी 2002(1) पेज 33 से 38, एआईआर 1998 एससी पेज 2276 से 2277, आरआरटी 2012(2) पेज 1177 से 1178, आरआरटी 2013(1) पेज 546 से 548 तथा आरआरटी 2016(2) पेज 1381 से 1383 नजीरे पेश की।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस मियाद प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट्स द्वारा ग्राम झुझण्डा के नामान्तरकरण सं. 2322 जो कि तहसीलदार (भू.अ.) मुण्डवा द्वारा दिनांक 19.12.2016 को स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 3 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र मे सर्वप्रथम उन्हे किस तिथि को निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई हो। ऐसा कही भी मियाद प्रार्थना पत्र मे उल्लेख नही किया है। यहां तक कि अपीलांट के पिता बशीर जो कि अन्य प्रकरणो मे पक्षकार थे। उनकी जानकारी मे सभी तथ्य होते हुए अपीलांट पारिवारिक सदस्य यानि पिता पुत्र होने से उसके संज्ञान मे आदेश जैर अपील नही हो। ऐसा स्वाभाविक रूप से नही माना जा सकता है तथा अपीलांटस द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र मे सर्वप्रथम जानकारी के स्रोतो का न तो स्पष्ट खुलासा किया है तथा न ही कोई उसके आधार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट्स 3 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहे हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट्स की अपील चलने योग्य नही है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर